Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 16, Issue No. 4, March-2019, ISSN 2230-7540

सर्वशिक्षा अभियान की वर्तमान स्थिति

Mukesh Kumar*

Research Scholar, Department of Political Science, Ranchi University, Ranchi

सार – ***सर्व शिक्षा अभियान जिला आधारित एक विशिष्ट विकेन्द्रित योजना है। इसके माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वभौमीकरण करने की योजना है। इसके लिए स्कूल प्रणाली को सामुदायिक स्वामित्व में विकसित करने रणनीति अपना कर कार्य किया जा रहा है। यह योजना पूरे देश में लागू की गई है और इसमें सभी प्रमुख सरकारी शैक्षिक पहल को शामिल किया गया है। इस अभियान के अंतराज्यों की भागीदारी से 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा था।***

----------X----------

परिचय

सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन वर्ष 2000-2001 से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण, प्रारंभिक शिक्षा में बालक-बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध अंतरूक्षेपों में अन्य बातों के साथ-साथ नए स्कूल खोला जाना तथा वैकल्पिक स्कूल सुविधाएं प्रदान करना, स्कूलों एवं अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण किया जाना, प्रसाधन-कक्ष एवं पेयजल सुविधा प्रदान करना, अध्यापकों का प्रावधान करना, नियमित अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा अकादमिक संसाधन सहायता, निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें एवं यूनिर्फाम तथा अधिगम स्तरों के परिणामों में सुधार हेतु सहायता प्रदान करना शामिल है

सर्व शिक्षा अभियान क्या है -

सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए एक स्पष्ट समय-सीमा के साथ कार्यक्रम। पूरे देश के लिए गुणवत्तायुक्त आधारभूत शिक्षा की माँग का जवाब, आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन में - पंचायती राज संस्थाओं, स्कूल प्रबंधन समिति, ग्रामीण व शहरी गंदी बस्ती स्तरीय शिक्षा समिति, अभिभावक-शिक्षक संगठन, माता-शिक्षक संगठन, जनजातीय स्वायतशासी परिषद् और अन्य जमीन से जुड़े संस्थाओं को, प्रभावी रूप से शामिल करने का प्रयास,पूरे देश में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए राजनीतिक इच्छा-शक्ति की अभिव्यक्ति,केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय सरकार के बीच सहभागिता व राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अपना दृष्टि विकसित करने का सुनहरा अवसर।

प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता -

- **संस्थागत सुधार -** सर्व शिक्षा अभियान के एक भाग के रूप में राज्यों में संस्थागत सुधार किए जाएंगे। राज्यों को अपनी मौजूदा शैक्षिक पद्धति का वस्तुपरक मूल्यांकन करना होगा जिसमें शैक्षिक प्रशासन, स्कूलों में उपलब्धि स्तर, वित्तीय मामले, विकेन्द्रीकरण तथा सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों की तैनाती को तर्कसम्मत बनाना, मॉनीटीरिंग तथा मूल्यांकन, लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सुविधाविहीन वर्गो के लिए शिक्षा, निजी स्कूलों तथा ई.सी.सी.ई. संबंधी मामले शामिल होगें। कई राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार के लिए संस्थागत सुधार भी किए गए हैं।
- **सतत वित्त पोषण -** सर्व शिक्षा अभियान इस तथ्य पर आधारित है कि प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम का वित्त पोषण सतत् जारी रखा जाए। केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय सहभागिता पर दीर्धकालीन परिप्रेक्ष्य की अपेक्षा है।
- **सामुदायिक स्वामित्व -** इस कार्यक्रम के लिए प्रभावी विकेन्द्रीकरण के जरिए स्कूल आधारित कार्यक्रमों में सामुदायिक स्वामित्व की अपेक्षा है।

www.ignited.in

महिला समूह, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों और पंचायतीराज संस्थाओं के सदस्यों को शामिल करके इस कार्यक्रम को बढ़ाया जाएगा। संस्थागत क्षमता निर्माण सर्व शिक्षा अभियान द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद्, राज्य शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद्, सीमेट (एस.आई.ई.एम.ए.टी.) जैसी राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय संस्थाओं के लिए क्षमता निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गयी है। गुणवत्ता में सुधार के लिए विशषज्ञों के स्थायी सहयोग वाली प्रणाली की आवश्यकता है।

- **शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख धारा में सुधार-** इसमें संस्थागत विकास, नयी पहल को शामिल करके और लागत प्रभावी और कुशल पद्धतियां अपनाकर शैक्षिक प्रशासन की मुख्य धारा में सुधार करने की अपेक्षा है।

- **पूर्ण पारदर्शिता युक्त सामुदायिक निरीक्षण -** इस कार्यक्रम में समुदाय आधारित पद्धति अपनायी जायेगी। शैक्षिक प्रबंध सूचना पद्धति, माइक्रो योजना और सर्वेक्षण से समुदाय आधारित सूचना के साथ स्कूल स्तरीय आंकड़ों का संबंध स्थापित करेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्कूल एक नोटिस बोर्ड रखेगा जिसमें स्कूल द्वारा प्राप्त किये गए सारे अनुदान और अन्य ब्यौरे दर्शाए जाएंगे।

योजना इकाई के रूप में बस्ती - सर्व शिक्षा अभियान आयोजना की इकाई के रूप में बस्ती के साथ योजना बनाते हुए समुदाय आधारित दृष्टिकोण पर कार्य करता है। बस्ती योजनाएं जिला की योजनाएं तैयार करने का आधार होंगी।

समुदाय के प्रति जवाबदेही - सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षकों, अभिभावकों और पंचायतीराज संस्थाओं के बीच सहयोग तथा जवाबदेही एवं पारदर्शिता की परिकल्पना की गयी है।

लड़कियों की शिक्षा - लड़कियों विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान का एक प्रमुख लक्ष्य होगा।

परियोजना पूर्व चरण - सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में सुनियोजित रूप से परियोजनापूर्व चरण प्रारम्भ करेगा जो वितरण और निरीक्षण (मॉनीटीरिंग) पद्धति को सुधार कर क्षमता विकास के कार्यक्रम चलाएगा।

गुणवत्ता पर बल देना - सर्व शिक्षा अभियान पाठ्यचर्या में सुधार करके तथा बाल केन्द्रित कार्यकलापों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को अपनाकर प्रारंभिक स्तर तक शिक्षा को उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है।

शिक्षकों की भूमिका - सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और उनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान देने का समर्थन करता है।

जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना - सर्व शिक्षा अभियान ढाँचा के अनुसार प्रत्येक जिला प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में समग्र एवं केन्द्रित दृष्टिकोण के साथ, निवेश किये जाने वाले और उसके लिए जरूरी राशि को प्रदर्शित करने वाली एक जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना तैयार करेगी। उसमें एक वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट भी होगा जिसमें सालभर में प्राथमिकता के आधार पर संपादित की जाने वाली गतिविधियों की सूची होंगी।

सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य -

सभी बच्चों के लिए वर्ष 2005 तक प्रारंभिक विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल शिविर की उपलब्धता। सभी बच्चे 2007 तक 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लें। सभी बच्चे 2010 तक 8 वर्षों की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें। संतोषजनक कोटि की प्रारंभिक शिक्षा, जिसमें जीवनोपयोगी शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया हो, पर बल देना। स्त्री-पुरुष असमानता तथा सामाजिक वर्ग-भेद को 2007 तक प्राथमिक स्तर तथा 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर समाप्त करना। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना।

अनुसंधान क्रियाविधि

भारत के संविधान की धारा-246 के तहत् शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। स्कूली शिक्षा 4 (चार) चरणों यथा प्राथमिक (कक्षा-1 से कक्षा-5), उच्च प्राथमिक (कक्षा-6 से कक्षा-8), माध्यमिक (कक्षा-9 से कक्षा-10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा-11 एवं कक्षा-12) का है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा इस नीति का कार्यक्रम 1992 एवं निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 को ध्यान में रखते हुए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सभी बच्चों को गुणवत्त शिक्षा की सुविधा सुनिश्चित कराना है। शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु राज्य सरकार विभिन्न केन्द्रीय योजनायें यथा - सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा योजना एवं राज्ययोजनाओं-

www.ignited.in

यथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, निःशुल्क पोशाक एवं स्कूल किट वितरण, मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना, निःशुल्क साईकिल वितरण, इंटरमीडियेट स्तर तक बालिकाओं की निःशुल्क शिक्षा, सरकारी विद्यालयों के कक्षा-9 से कक्षा-12 तक की सभी छात्राओं को निःशुल्क पोशाक, पाठ्य पुस्तक एवं कॉपी योजना के माध्यम से सतत् प्रयत्नशील है। इसके अतिरिक्त गुणवत्त शिक्षा, योजनाओं के प्रभावशाली अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु लागू की गयी है तथा इस क्रम में एक पी.एम.यू. कोषांग भी गठित किया गया है।

1. वर्तमान सरकार ने अपनी कार्य अवधि में 18,431 शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित कराया है। प्रारम्भिक विद्यालय की नियुक्ति में पारा शिक्षकों को रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर उम्र सीमा में छूट देकर स्थायी रोजगार का अवसर दिया गया। इसके अतिरिक्त लगभग 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जा रही है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 तक में पूरी होने की संभावना है।

2. शिक्षकों के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं यथा हो, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुडुख, बंगाली एवं उड़िया में भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

3. अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा देने के लिये विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों यथा: ब्रिटिश कॉउन्सिल, अरविन्दो सोसाईटी, सम्पर्क फाउन्डेशन आदि से एम.ओ.यू. कर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।

4. कक्षा-8 में गणित एवं विज्ञान में राज्य के छात्र राष्ट्रीय औसत से अच्छी स्थिति में हैं। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एन0ए0एस0) एवं असर (ए0एस0ई0आर0) द्वारा बाह्य मूल्यांकन, आंतरिक मूल्यांकन तथा सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है। इसका परिणाम काफी उत्साहवर्द्धक है। वर्तमान चक्र का परिणाम प्राप्त हो गया है तथा झारखण्ड राज्य के क्रम में परिणाम उत्साहवर्द्धक है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

5. राज्य में आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा में सुधार हेतु नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर सभी प्रमण्डलों में इंटर तक समतुल्य व्यवस्था हेतु दुमका, चाईबासा, रांची में विद्यालय की स्थापना की जा चुकी है। हजारीबाग के विद्यालय को इंटर स्तर तक उत्क्रमित किया गया। इस तरह पूर्व की बारह सौ (1200) की क्षमता को पैंतीस सौ (3500) छात्र संख्या तक पहुँचाया गया।

6. सभी प्रखण्डों में कस्तुरबा तथा झारखण्ड आवासीय विद्यालय स्थापित कर इसकी क्षमता साठ हजार (60000) से बढ़ाकर नब्बे हजार (90000) की गयी है। कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रायें व्यावसायिक कोर्स, नर्सिंग, पोलिटेकनिक, बैंड बाजे, कला एवं संस्कृति आदि में अपना विशिष्ट स्थान बना रही हैं।

7. सुरुचिपूर्ण शिक्षा के विकास हेतु शिक्षक समागम, बाल समागम, स्कूली खेल-कूद, बाल संसद इत्यादि को बढ़ावा दिया गया। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा कराये गये बाह्य मूल्यांकन एन.ए.एस. सर्वे में राज्य की प्रगति उत्साहवर्द्धक रही है। राज्य के एक हजार (1000) पंचायतें शून्य ड्रॉप आउट तथा पांच सौ (500) पंचायतें शिक्षित घोषित हो चुकी हैं।

क्रम सख्या	मानक	01.04.2015 की स्थिति	अद्यतन स्थिति	उपलब्धि का प्रतिशत
1	माध्यमिक विद्यालयो की सख्या	2238	2637	17%
2	माध्यमिक विद्यालयो मे नामकन क्षमता	57928	675072	17.82%
3	उच्च माध्यमिक विद्यालयो की सख्या	434	864	99%
4	उच्च माध्यमिक विद्यालयो नामकन क्षमता	166272	331392	99%
5	आवासीय विद्यालय	210	283	34.76%
6	आवासीय विद्यालयो नामकन क्षमता	62475	96475	54.42%
7	शिक्षको की नियुक्ति	64057	69484	
8	आधारभूत संरचनाये			
	बेंच डेस्क की सुविधा वाले विद्यालयो की सख्या	3269	31705	1090%
	बिजली की सुविधा वाले विद्यालयो की संख्या	4277	31404	634.25%
9	आकाक्षा इंजीनियरिग एवं मेडिकल हेतु कोचिग की व्यवस्था सख्या	0	2040	
10	माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा	57	217	280.70%
11	साक्षरता दर	66.41	76	14.44%
12	जी .ई.आर प्रारिम्भक स्तर	98.09	100.68	2.64%
13	एन.ई.आर प्रारिम्भक स्तर	92.58	94.48	2.05%
14	जी.ई आर माध्यमिक स्तर	61.58	72.42	17.60%
15	एन.ई.आर माध्यमिक स्तर	39.09	49.59	26.86%
16	शून्य ड्राप आउट पंचायत	0	1500	
17	सक्षार घोषित पंचायत	0	500	

सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य में 37 केन्द्रीय विद्यालय संचालित हैं।

उपसंहार

स्कूल शिक्षा के सुशासन में माता -पिता अध्यापक एसोसिएशन अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। फिर भी, मात्र 50 प्रतिशत माता -पिता ही स्कूलों के पीटीए, एमटीए से अवगत थे। यद्यिप माता -पिता स्कूल में नियिमत रूप से जाते थे, फिर भी, लेकिन कोई भी स्कूल पीटीए के सदस्यों की सूची प्रदिशर्त नहीं करता है। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश,

www.ignited.in

तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल के अलावा अन्य राज्यों में इन एसोसएशनों के बारे में जानकारी बहुत कम थी। इन राज्यों में माता-पिता भोजन और शिक्षण में प्रदान की गई सहायता के पयर्वेक्षण में शामिल होने को कहा गया था।

संदर्भ

1. बेस्ट, जॉन डब्लू (1963). "रिसर्च इन एजूकेशन". नई दिल्ली, प्रिटिंग हाल ऑफ़ इण्डिया.
2. बलसारा, मैत्रेयी (1996). "न्यू एजुकेशनल पॉलिसी एण्ड डवलपमेण्ट चैलेन्ज".नई दिल्ली, कनिष्का पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
3. बुच, एम. बी. (1988-1992) "फिफ्थ सर्वे ऑफ़ रिसर्च इन एजूकेशन" वॉल्यूम-9, नई दिल्ली, एन.सी.ई.आर.टी.
4. भटनागर, आर. पी. (2007). "रिडिंग इन मैथोडोलॉजी ऑफ़ रिसर्च इन एज्यूकेशन". मेरठ, अग्रवाल बुक डिपो.
5. भटनागर, सुरेश व अन्य (2008). "डवलपमेंट ऑफ़ एज्यूकेशन सिस्टम इन इण्डिया". मेरठ, आर लाल बुक डिपो.
6. चर्तुवेदी, ममता (2013). "अनुसंधान विधियाँ". आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन.
7. चौधरी, लाखाराम (2013). "शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान". आगरा, अग्रवाल पब्लिकेशन.
8. देव, इन्दिरा अर्जुन एवं दास, सुप्ता (1998). "मानव अधिकार. नई दिल्ली, एनसीईआरटी.
9. दूबे, राम जी (2011). "शिक्षा का अधिकार". नई दिल्ली, शक्ति पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स.
10. घोष, अविका. (2000). "रोल ऑफ़ मीडिया इन एजुकेशन फॉर ऑल ईयर एसेसमेंट". नई दिल्ली, नेशनल इन्स्टिट्शन ऑफ़ एजुकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन.
11. गैरेट, हेनरी (1996). "शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी का प्रयोग". नई दिल्ली, कल्याणी पब्लिशर्स.

Corresponding Author

Mukesh Kumar*

Research Scholar, Department of Political Science, Ranchi University, Ranchi

mukesh.dtg@gmail.com